

प्रमाण,

अधीन मांजूनी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

16/11/21

1102

मेधा में,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
अधिन/समाचार/संसाधन।

संख्या: दिनांक: 30 नवम्बर, 1991

विषय: 1131 अनुभाग

विषय:- प्रदेश शिक्षा निदेशक संस्थाओं को कोउंरिल फार दि इन्डियन स्कूल
एवं फिनेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ मेडिकल
एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30 नवम्बर, 1991

महोदय,

मुझे यह कहने का मिशन प्राप्त है कि शासन द्वारा सम्बन्धित विद्यार्थीपरान्त
प्रदेश शिक्षा निदेशक संस्थाओं को कोउंरिल फार दि इन्डियन स्कूल एवं फिनेट
एक्जामिनेशन नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड आफ मेडिकल एक्जामिनेशन नई दिल्ली से
सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संकीर्ण
कर दिया है। उक्त परीक्षा परिष्कृत से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
दिये जाने के लिए उक्त शिक्षा संस्थाओं को संलग्न परिशिष्ट-1 तथा 2 का
आवेदन पत्र देना होगा जो संस्था कोउंरिल फार दि इन्डियन स्कूल एवं फिनेट
एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-
पत्र दिये जाने की माँग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार
तथा जो संस्था सेन्ट्रल बोर्ड आफ मेडिकल एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु
माँग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-2 के अनुसार अपेक्षित सूचनाओं
को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से उचित करने हुए, सम्बन्धित सम्माननीय उप शिक्षा
निदेशक को प्रस्तुत करेगी। सम्माननीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित
संबन्धित शिक्षा संस्था का स्वयं स्थानीय निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त संस्था
को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी
आवेदन/संस्तुति शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगे। स्थानीय निरीक्षण के
उपरान्त यदि विद्यमान में किसी प्रकार की कठिनाई पायी जाती है तो
सम्माननीय उप शिक्षा निदेशक अपने द्वारा से सम्बन्धित संस्था को उक्त कठिनाई
के बारे में सूचित करेंगे।

2- जिन परीक्षा परिषदों में सम्मति हेतु इच्छुक शिक्षण संस्थाओं को अनागत प्रमाण पत्र के लिए रु. 500/- आवेदन शुल्क के साथ जमा करना होगा। आवेदन शुल्क को जो तब तक शिक्षण बोर्डों में जमा की जानी होगी और निर्धारित अवधि पत्र के साथ वापस करने की मूल प्रति संलग्न की जानी होगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, जिनके साथ वापस की मूल प्रति संलग्न नहीं होगी।

3- जो संस्था वर्ष 1991-92 के अधिकांश से उक्त परीक्षा परिषदों/संस्थाओं से सम्मति हेतु प्रदेश सरकार से अनागत प्रमाण पत्र के लिए इच्छुक होगी, उनके लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1991 होगी, और शिक्षण शुल्क के साथ आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 1992 होगी। आगामी वर्षों के लिए आवेदन पत्रों देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। 31 अगस्त के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कैलेंडर मास या उसके बाद के लिए रु. 100/- का शिक्षण शुल्क भुगतान करने पर ही ग्रहण किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्यन्धित अधिक वर्षों से स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर इससे आगामी शैक्षिक सत्र के लिये विचार किया जायेगा।

4- यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को अनागत प्रमाण पत्र प्रदान करते समय सम्मान्य तथ्यों के अधीन वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित प्रतिमानों के अन्तर्गत अनागत प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

- क। विधानमंडल की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- ख। विधानमंडल के प्रधान समिति में शिक्षण निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा।
- ग। विधानमंडल में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी पद्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/विश्व शिक्षा परिषद द्वारा तैयार विधानमंडल में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- घ। संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानमंडल माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता

..... 3

Scanned with CamScanner

for necessary support and follow up

राज एवेन्यु, नई दिल्ली- 110 002

"The Sadan", 17, Rouse Avenue, New Delhi - 110 002

Phone : +91-11-23216963, 23214737 वेबसाइट/Website : www.cbseacademic.in

निदेशक के द्वारा शिक्षा निदेशक एवं राज्य सरकार को स्थिति से तुरन्त अवगत कराया जायेगा, ताकि राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

7- भारत सरकार यह भी निर्देश दिया गया कि प्रदेश के सम्बन्धीय उच्च शिक्षा निदेशक अपने गण्डल में रिक्त हो विद्यमान संस्थाओं को सूचित कर दि. मजिस्ट्रेट स्कूल सटीमिडेट एक्वालिशन की कार्यवाही के सम्बन्धीय उच्च शिक्षा निदेशक के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने के लिए आवश्यक हो।

8- प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं को उक्त परीक्षा परिष्कार/संस्थाओं से सम्बन्धित हेतु जनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाये हेतु प्रस्तावित मानक परिष्कार-3 में संलग्न है। कृपया ऐसे विद्यमानों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर संलग्न परिष्कार-1, 2 तथा 3 में उल्लिखित विन्दुओं तथा सम्बन्धित परीक्षा परिष्कारों के मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कर आसना प्रस्तुत की जाये।

आज्ञा से
आज्ञा से
आज्ञा से
आज्ञा से

अं- 2762 111/15-13-21-सद्विनिर्देश

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवागमन के लिये हेतु प्रेषित:-

- 1- साक्षर गण्डलागुप्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- साक्षर जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
- 3- साक्षर गण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 4- साक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
- 5- निरीक्षक, ऑग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से
आज्ञा से
आज्ञा से
आज्ञा से